''नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय वाहन एम्बेजडर कार संख्या UP14AG-0620 मैक मॉडल एम्बेजडर कार, पंजीयन वर्ष 2014, इंजन संख्या 3ELDP115142, चेसिस संख्या MA7AM18MDPU023134 तथा राजकीय वाहन टाटा मान्जा कार संख्या UP14AG-0570 मैक मॉडल एम्बेजडर कार, पंजीयन वर्ष 2013, इंजन संख्या 323B66007092724, चेसिस संख्या MAT613561DLK25611 जो पैट्रोल चलित तथा न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद मे खडी है, की नीलामी दिनांक 04.04.2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 01.30 बजे न्यायालय परिसर के सैन्ट्रल हॉल भूतल में की जायेगी। नीलामी की कार्यवाही निम्न शर्तो के अधीन होगी :–

1. जो व्यक्ति/फर्म बोली बोलना चाहेगा उसे प्रत्येक वाहन हेतु अंकन 5,000/– रूपये का नकद प्रतिभूत के रूप में जमा करना होगा।

2. न्यूनतम बोली वाहन संख्या UP14AG-0620 हेतु अंकन 35,500/– तथा वाहन संख्या UP14AG-0570 हेतु अंकन 40,000/–रूपये निश्चित की है, नीलाम के इच्छुक व्यक्ति को उससे अधिक बोली बोलनी होगी।

3. बोलीदाता अपनी बोली को मौखिक रूप से बोल सकता है तथा अपनी अधिकतम बोली को लिखित रूप से बन्द लिफाफे में भी बोली प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यालय में दे सकता है। बन्द लिफाफे को अधिकतम बोली लगाने के पश्चात सबकी उपस्थिति में खोला जायेगा।

4. सबसे अधिक बोली बोलने वाले अथवा बन्द लिफाफे में प्राप्त अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त जमा करनी होगी।

5. यदि उच्चतम बोलीदाता अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा नही करता है तो उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप मे जमा की गयी धनराशि उ0प्र0 शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा उससे कम बोली बोलने वाले को अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि को जमा करना होगा।

6. वाहन को स्क्रैप अथवा संचालन हेतु नीलाम किया जायेगा तथा समस्त धनराशि जमा होने एंव नीलामी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही वाहन की डिलीवरी दी जायेगी।

7. वाहन का निरीक्षण नवीन न्यायालय परिसर मे किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है वाहन जैसा है, जहॉ है, वैसा ही, नीलाम किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति/फर्म कोई अन्य जानकारी जानना चाहता है तो वह किसी भी कार्य दिवस मे श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग अथवा केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय गाजियाबाद से व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। केन्द्रीय नाजिर का मोबाईल संख्या 9958937054 है।

8. नीलाम किये गये वाहन के संचालन की स्थिति में, क्रेता द्वारा वाहन को अपने नाम हस्तांतरित एवं मार्गकर जमा कराकर, वाहन का संचालन किया जा सकता है। हस्तांतरित होने के पश्चात ही वाहन की डिलीवरी दी जायेगी। क्रेता को इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

9. नीलाम क्रेता को नीलामी संबधी समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।

10. नीलामी स्वीकृत एवं बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद का होगा।

दिनांक25../03/2025

(हीरा लाल-।।।)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-02, गाजियाबाद।

नीलामी के प्रचार प्रसार हेतु निम्नलिखित कार्यालयो के सूचना पट्ट तथा समाचार-पत्र एवं इस कार्यालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वैबसाईट पर प्रकाशित करायी जाये।

1. कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।
2. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद।
5. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
6. तहसीलदार सदर, जनपद गाजियाबाद।
7. ए0 आर0 टी0 ओ0 इस अनुरोध के साथ कि वह नीलामी के अवसर पर नियत स्थान एंव समय पर नीलामी की कार्यवाही मे भाग लेने का कष्ट करें तथा सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
8. नीलामी सूचना की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रो मे **निःशुल्क** प्रकाशित कराने हेतु।
9. कम्प्यूटर अनुभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(हीरा लाल-।।।)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-02, गाजियाबाद।